

प्रेषक,

ब्योमकेश दूरे,
अनु सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद
समुदाय केन्च प्रीति विहार,
नई दिल्ली।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-3

देहरादून, दिनांक: 12 फरवरी, 2015

विषय:- बानटेज हाल स्कूल ग्राम छूँगा, विकासखण्ड सहसपुर जनपद देहरादून को सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकेण्डरी एजुकेशन (सी०बी०एस०ई०), नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापौत्र प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निरेश हुआ है कि बानटेज हाल स्कूल ग्राम छूँगा, विकासखण्ड सहसपुर जनपद देहरादून को सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकेण्डरी एजुकेशन (सी०बी०एस०ई०), नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है:-

- (क) सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकेण्डरी एजुकेशन, नई दिल्ली से सम्बद्धता प्राप्त करने हेतु उपर्युक्त बोर्ड द्वारा निर्धारित शार्तों/मानकों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
- (ख) विद्यालय की पंजीकृत रोसाइटी का समय-रामय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- (ग) विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित सदस्य होगा।
- (घ) विद्यालय में उत्तराखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मैधावी वच्चों के लिये पर्याप्त स्थान यथा निर्दिष्ट सुरक्षित रहेंगे।
- (ङ) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी भी प्रकार के अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि विद्यालय पूर्व में विद्यालयी शिक्षा परिषद, उत्तराखण्ड से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड आफ सैकेण्डरी एजुकेशनल, नई दिल्ली/कॉसिंल फार इण्डियन सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान जैसी स्थिति हो, स्वतः ही समाप्त हो जायेंगे।
- (च) संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणेत्र कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमत्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
- (छ) विद्यालय/संस्था में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमत्य सेवा निरूप लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
- (ज) राज्य सरकार द्वारा समय-रामय पर जो भी आदेश/निर्देश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।

FOR VANTAGE HALL

PRESIDENT

FOR VANTAGE HALL
12.2.2015
PRINCIPAL



क्रमांक: 2

(2)

(अ) विद्यालय तथा विद्यार्थियों से संबंधित सभी अग्रिम निर्धारित प्रपत्रों/पंजिकाओं में रखे जायेंगे।

(ट) उक्त शर्तों में, बिना शासन के पूर्वानुमोदन के, कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

2. भविष्य में यदि यह पाया जाता है कि निरीक्षण आख्या/प्रस्ताव त्रुटिपूर्ण है यथा नियमों के अधीन नहीं है तो इसकी जवाबदेही/उत्तरदायित्व निदेशक एवं नियन्त्रक अधिकारी/मुख्य शिक्षा अधिकारी का होगा एवं साथ ही दी जा रही अनापत्ति निरस्त/वापस कर ली जाएगी।

3. उक्त विद्यालय द्वारा भूमि उपयोग/निर्माण संबंधी सभी नियमों/आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। यदि उक्त संस्था/स्कूल का किसी भी भूमि पर कोई अवैध कब्जा आदि पाया जाता है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा।

4. संस्था/स्कूल द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 में उत्तिलिखित प्राविधान कि 25% सरकार प्रायोजित कमज़ोर एवं उपेक्षित वर्ग के छात्रों को निजी शिक्षण संस्थानों में आवश्यक रूप से शिक्षा दी जायेगी, का भी पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5. संस्था/स्कूल द्वारा प्रत्येक वर्ष U-DISE (Unified District Information System In Education) में संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

6. उपरोक्त समस्त प्रतिवन्धों/शर्तों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिवन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता वरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

(व्योमकेश दूबे)

अनु सचिव

पुष्टांकन संख्या: 127 /XXIV-3/15/01(01)/2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।

2. जिलाधिकारी देहरादून।

3. अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल, देहरादून।

4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, देहरादून।

5. प्रधानाचार्य, वानटेज हाल स्कूल ग्राम झूंगा, विकासखण्ड सहसपुर, जनपद देहरादून।

6. गार्ड फाइल।

आशा से,

Abu

(व्योमकेश दूबे)

अनु सचिव

FOR VANTAGE HALL
PRESIDENT

FOR VANTAGE HALL
Vice P.R.

